UPGK010021272026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश,गोरखपुर।
प्रथम नियमित जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–929/2026
केशव प्रसाद पुत्र स्व0 रामगति,
निवासी रानूखोर, थाना सहजनवॉ, जनपद गोरखपुर।

.....आवेदक/अभियुक्त

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिपक्षी,
मु0 अपराध संख्या–103/2026
धारा–85, 80(2) भारतीय न्याय
संहिता व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम,
थाना–सहजनवॉ, जनपद–गोरखपुर।

आदेश

नियमित जमानत का यह प्रार्थना–पत्र आवेदक/अभियुक्त केशव प्रसाद, जो मु0 अपराध संख्या–103/2026 धारा–85, 80(2) भारतीय न्याय संहिता व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना–सहजनवॉ, जनपद–गोरखपुर के अन्तर्गत न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है, के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

2– अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी अरविन्द कुमार की छोटी बहन मन्सा गुप्ता की शादी सुनील कुमार पुत्र केशव प्रसाद के साथ दिनाँक 02.12.2023 को हुई थी जिसका एक 14 महीने का बेटा भी है। अपनी हैसियत के अनुसार दान दहेज भी दिया था। शादी के कुछ समय बाद से बहन के पति सुनील कुमार व सास परेशान करते रहते थे। पैसे की माँग हेतु वादी की बहन को प्रताड़ित करते रहते थे। आज दिनांक 23.02.2026 को वादी की दूसरी छोटी बहन रमा गुप्ता जो घर पर रहती है के मोबाइल न0 8317065695 पर 11.5 बजे काल आया जिसमें बहन बहुत घबरायी हुई थी वादी की छोटी बहन रमा ने वादी को फोन दे दिया। वादी की बहन मन्सा गुप्ता का मोबाइल नं0 9219764224 से बताया कि इस समय घर पर मेरे पति सुनील गुप्ता व ससुर केशव प्रसाद व सासू रुकमिणी उर्फ सुक्मणी देवी व ननद राधिका व सरिता और देवर सुग्रीव घर पर मौजूद है, मुझसे ड़ागड़ा कर रहे है, आप कुछ और लोगो को लेकर चले आइए भाईया नहीं तो ये सभी लोग मिलकर मार डालेंगे। कहकर फोन काट दिया। समय 12.29 पर दिन मे वादी की बहन के पति के मो0न0 8853969958 से वादी छोटी बहन रमा के मोबाइल पर फोन करके बताया गया कि वादी की बहन मर गई। ये सभी लोग मिलकर वादी की बहन की हत्या कर दिए।

3– आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया

कि आवेदक/अभियुक्त सर्वथा निर्दोष एवं निरपराध हैं। आवेदक मृतका का ससुर है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक प्रस्तुत प्रकरण में दिनांक 24.02.2026 से जिला कारागार, गोरखपुर में निरूद्ध है। मृतक मंशा गुप्ता को कभी भी दहेज के लिये न तो प्रताड़ित किया गया और न ही दहेज की मॉग की गई और न ही उसे दहेज के लिये कभी मारा–पीटा गया। वादी के पुत्र सुनील गुप्ता ने ही अपने मोबाईल से मृतक की छोटी बहन रमा गुप्ता के मोबाईल पर फोन करके मंशा गुप्ता के अवसाद के कारण स्वयं फांसी लगाकर आत्महत्या करने की सूचना दिया था। सत्यता यह है कि मृतका ने स्वयं आत्महत्या की है। कथित घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है। अभियोजन द्वारा दहेज की मॉग, क्रूरता या उत्पीड़न के सम्बन्ध में कोई भी विश्वसनीय या अभिलेखीय या चिकित्सीय प्रमाण उपलब्ध नहीं कराया गया है। अतएव उपरोक्त समस्त आधारों पर उनके द्वारा आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी।

4– अभियोजन पक्ष की तरफ से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक ने जमानत प्रा0पत्र का प्रबल विरोध एवं खण्डन करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि आवेदक/अभियुक्त मृतका का ससुर है। आवेदक/अभियुक्त व उसके परिवारजन के द्वारा अपनी बहू मंशा गुप्ता से दहेज में पैसे की मॉग को लेकर प्रताड़ित किया जाता था एवं मारा–पीटा जाता था तथा मृतका की दहेज मृत्यु कारित की गई है। मृतका की मृत्यु उसके विवाह के सात वर्ष की अवधि के अन्तर्गत उसके ससुराल में असामान्य परिस्थितियों में हुई है। तद्नुसार उनके द्वारा आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

5– मैंने आवेदक/अभियुक्त की तरफ से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र पर उसके विद्वान अधिवक्ता तथा उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) की विद्वतापूर्ण तर्को को विस्तारपूर्वक सुना तथा अभियोजन प्रपत्रों का परिशीलन किया।

6– अभियोजन प्रपत्रों के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है। आवेदक/अभियुक्त मृतका मंशा गुप्ता का ससुर है। आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर अपनी बहू मंशा गुप्ता से दहेज में पैसे की मॉग को लेकर प्रताड़ित करने तथा उसकी दहेज मृत्यु कारित करने का गम्भीर अभिकथन है। केस डायरी के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि मृतका की मृत्यु उसके विवाह के सात वर्ष की अवधि के अन्तर्गत उसके ससुराल में असामान्य परिस्थितियों में होना वर्णित है। विवेचक द्वारा धारा–180 बी0एन0एस0एस0 के अन्तर्गत वादी मुकदमा, मृतका की माता इन्द्रावती देवी व मृतका के भाई रविन्द्र कुमार का बयान अंकित किया गया है जिसमें उन्होंने प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लिखित कथनों का समर्थन करते हुए कथित अपराध में आवेदक/अभियुक्त की घटना में सहभागिता के सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से कथन किया है। मृतका की शव विच्छेदन आख्या में मृत्यु पूर्व चोट A Ligature mark present on front of neck of size 22cm x

2cm present. 3cm below from right ear, 8cm below from chin, 4cm from left ear. On cutting Ligature mark parchment like present, on opening trachea congested hyoid bone intact. आना उल्लिखित है तथा मृत्यु का कारण मृत्यु पूर्व आई चोटों के कारण दम घुटने से होना बताया गया है। आवेदक/अभियुक्त के द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। इस स्तर पर आवेदक/अभियुक्त को प्रश्नगत घटना में मिथ्यारोपित किये जाने का कोई ठोस एवं न्यायोचित आधार विद्यमान नहीं है। आवेदक/अभियुक्त की तरफ से प्रस्तुत तर्क एवं बचाव में अभिकथित तथ्य साक्ष्य एवं विचारण का विषय है। विवेचना अभी प्रचलित है।

7– अतएव मामले के गुण–दोष पर अपनी कोई राय व्यक्त किये बिना, इस मामले के सम्पूर्ण तथ्य, परिस्थितियों, अपराध की गम्भीरता तथा आवेदक/अभियुक्त की कथित अपराध में भूमिका को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने योग्य नहीं है।

8– निष्कर्षतः आवेदक/अभियुक्त केशव प्रसाद की तरफ से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जाता है।

(राज कुमार सिंह)
सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।
J.O.Code No. 1889

दिनांक–11.03.2026

Digitally signed by RAJ KUMAR SINGH
Date: 2026.03.11 15:48:44 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court